



आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex./ST, JODHPUR
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

फा.सं.: 11(03)01/स्था./जेडीआर/2022/6091

दिनांक 28.11.2022

स्थापना आदेश संख्या : 33/2022

दिनांक : 28.11.2022

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 54/2022 दिनांक 22.07.2022 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित एवं इस कार्यालय द्वारा जारी स्थापना आदेश संख्या 11/2022 दिनांक 28.07.2022 में आशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधीक्षकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर किया जाता है:-

S. No.	Name of Officer S/Shri	From	To
1	MOHAN LAL NAMA	CGST Range-19,Pali with Addl. Charge of Range- 17, Pali (CGST Div-D, Pali)	CGST Range-17,Pali (CGST Div-D, Pali)
2	AJAY OJHA	CGST Range-22, Jalore, (CGST,Div-E, Pali)	CGST Range-19,Pali (CGST Div-D, Pali)

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

28/11/2022

(महिपाल सिंह)

अपर आयुक्त(का. एवं सत.)
अपर आयुक्त

Additional Commissioner

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय

CGST Commissionerate

जोधपुर Jodhpur

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. अपर आयुक्त (सीसीयू), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर।
3. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग, ए.बी.सी-जोधपुर/डी.ई-पाली/एफ.जी-बीकानेर/एच. आइ-श्रीगंगानगर।
4. अधीक्षक (Com Admin)/EMD Manager, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
5. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व सीमा शुल्क, जयपुर।
6. महासचिव, संबंधित कार्यकारी अधिकारी संघ, जयपुर।
7. महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सी.जी.एस.टी. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, राजस्थान।
8. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
9. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड।
10. अधीक्षक (कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने।